उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या : 273 /XIII(II)/2013–24(05)/2013
देहरादून : दिनांक : 19 अगस्त, 2013

कार्यालय ज्ञाप

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विश्व बैंक वित्त पोषित 'उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2' (UDWDP Phase-II) के सफल नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न रेखा विभागों एवं परियोजना के बीच समन्वय स्थापित करने, स्थानीय जनसहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित करने, योजना की प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने तथा जलागम विकास के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में, जहां यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही हो, "जिला जलागम (UDWDP Phase-II) समिति" गठित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार गठित जिला जलागम समिति का स्वरूप निम्नवत होगा : –

जिला जलागम (UDWDP Phase-II) समिति

1	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष
2	परियोजना क्षेत्र से संबंधित विधानसभा सदस्य	सदस्य
3	परियोजना क्षेत्र से संबंधित समस्त ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
4	संबंधित परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले दो जिला पंचायत सदस्य (जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित, जिसमें एक महिला हो)	सदस्य
5	उत्तराखण्ड राज्य/संबंधित जिले में कार्यरत प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं से एक प्रतिनिधि (जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा नामित)	सदस्य
6	परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत FNGO का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7	संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
8	संबंधित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
9	परियोजना क्षेत्र से संबंधित समस्त प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
10	संबंधित जनपद के कृषि अधिकारी	सदस्य
11	संबंधित जनपद के उद्यान अधिकारी	सदस्य
12	परियोजनान्तर्गत संबंधित जनपद के सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्ध	सदस्य
13	संबंधित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
14	परियोजना क्षेत्र से संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई	सदस्य
15	संबंधित जनपद के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
16	संबंधित जनपद के नामित दो वन पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
17	संबंधित परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों से दो प्रतिनिधि (उप परियोजना निदेशक द्वारा नामित)	सदस्य
18	संबंधित परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के चार प्रतिनिधि (चक्रीय क्रमानुसार)	सदस्य
19	संबंधित उप परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यकारी, सहभागी स्वयंसेवी संस्था।	सचिव

3. यदि उक्त समिति के अध्यक्ष/सचिव आवश्यक समझते हों तो किसी अन्य अधिकारी/विशेषज्ञ को समिति की बैठक में विशेष आमंत्री के रुप में आमंत्रित कर सकते हैं।

क्रमशः...

4. उक्त समिति परियोजना के क्रिया-कलापों पर विचार करने हेतु प्रत्येक वर्ष में 3 माह की अवधि में कम से कम एक बार बैठक अनिवार्य रूप से करेगी।

5. समिति की बैठक में कम से कम 10 प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

6. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को रेल/बस/टैक्सी का वास्तविक किराया, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संबंधित उप परियोजना निदेशक द्वारा परियोजना के अधिष्ठान के अन्तर्गत देय होगा। अन्य सदस्य अपने अधिष्ठान से यात्रा व्यय प्राप्त करेंगे।

(बी. पी. पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 273(1)/XIII(2)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. जलागम मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊँ/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबंध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. परियोजना निदेशक, कुमाऊँ/गढवाल क्षेत्र, हल्द्वानी/मुनि की रेती।
9. उक्तानुसार गठित "जिला (UDWDP Phase-II) जलागम समिति" में नामित समस्त सदस्यगण (द्वारा जलागम प्रबंध निदेशालय)।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर सचिव।